न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमती श्याम कंवर **बनाम** श्री विजय सिंह वगैरह

धारा 111–128 एल0आर0ए

मुकदमा 238 / 2022

19.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 238 /2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती श्याम कंवर पत्नी श्री विजय सिंह निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्री विजय सिंह पिता श्री मोती सिंह निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री बालू पिता श्री धूकल जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री नन्द सिंह पिता श्री बहादूर सिंह निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री देवीलाल पिता श्री बरदा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज.।

**–विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

निर्णय

दिनांक 19.05.2022

प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में खसरा नं 2794/385 रकबा 0.0632 हैक्टयर, खसरा नं. 385/2 रकबा 0.1897 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। ग्राम हलेड प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में खसरा न 2794/385 रकबा 0.0632 हैक्टयर, खसरा नं. 385/2 रकबा 0.1897 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

desktop/motidhar/111-128/april2022

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

## // आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा में खसरा नं. 2794/385 रकबा 0.0632 हैक्टयर, खसरा नं. 385/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 50/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थीया जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक** सुवाणा **500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सुवाणा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा